फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :- 25.11.2023

कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0स0 542/23 धारा 419/420/467/468/471 भादवि0 से सम्बन्धित 05 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री प्रशान्त कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप सिंह** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस के द्वारा मु0अ0स0 542/23 धारा 419/420/467/468/471 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. सहदेव पुत्र हेतराम नि0 मधवापुर थाना जहाँनगंज, जनपद फतेहगढ़ 2. रोहित कुमार पुत्र वीर सिंह नि0 फतेपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ 3. संदीप पुत्र गिरीशचन्द्र गुप्ता नि0 बजरिया फील्ड कटरा बक्सी थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ 4. जसकरन पुत्र धनपाल नि0 रतनपुर जहाँनगंज जनपद फतेहगढ़ 5.करन पुत्र रामसरन नि0 बजरिया फील्ड कटरा बक्सी थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को दिनांक 25.11.2023 को गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण:- दिनांक 24.11.2023 को वादी श्यामसिंह पुत्र तेजराम निवासी ग्राम बनपोई थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ द्वारा तहरीर दी गयी कि उसका तथा उसके भाई मान सिंह का फर्जी आधार कार्ड बनाकर फर्जी तरीके से उसकी जमीन को 1. सहदेव पुत्र हेतराम नि0 मधवापुर थाना जहाँनगंज, जनपद फतेहगढ़ 2. रोहित कुमार पुत्र वीर सिंह नि0 फतेपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ 3. संदीप पुत्र गिरीशचन्द्र गुप्ता नि0 बजरिया फील्ड कटरा बक्सी थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ 4. जसकरन पुत्र धनपाल नि0 रतनपुर जहाँनगंज जनपद फतेहगढ़ 5.करन पुत्र रामसरन नि0 बजरिया फील्ड कटरा बक्सी थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ बेचने का सौदा कर रहै है। प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली फतेहगढ़ पर मु0अ0स0 542/23 धारा 419/420/467/468/471 भादवि0 सम्बन्धित अभियुक्तगण सहदेव आदि उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । विवेचना से अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये गये जिसके आधार पर उपरोक्त अभियुक्तगण को दिनांक 25.11.2023 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से वादी के भाई मानसिंह के नाम का फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ ।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगणों के द्वारा बताया गया कि वादी श्याम सिंह बाहर के रहने वाले है हमने यह सोचकर कि उन्हे पता नही लगेगा और हम फर्जी आधार कार्ड द्वारा जमीन बेचकर धन लाभ कमा लेंगे और आपस में बांट लेंगे।

गिरफ्तारअभियुक्तगण का नाम व पता:-

1- सहदेव पुत्र हेतराम नि0 मधवापुर थाना जहाँनगंज जनपद फतेहगढ़।
2- रोहित कुमार पुत्र वीर सिंह नि0 फतेपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।
3- संदीप पुत्र गिरीशचन्द्र गुप्ता नि0 बजरिया फील्ड कटरा बक्सी थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
4- जसकरन पुत्र धनपाल नि0 रतनपुर जहाँनगंज जनपद फतेहगढ़।
5- करन पुत्र रामसरन नि0 बजरिया फील्ड कटरा बक्सी थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –

1- अभियुक्त सहदेव का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0स0 542/23 धारा 419/420/467/468/471 भादवि कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फतेहगढ़ ।

2- अभियुक्त रोहित कुमार का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0स0 542/23 धारा 419/420/467/468/471 भादवि कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फतेहगढ़ ।

3- अभियुक्त संदीप का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0स0 542/23 धारा 419/420/467/468/471 भादवि कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फतेहगढ़ ।

4- अभियुक्त जसकरन का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0स0 542/23 धारा 419/420/467/468/471 भादवि कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फतेहगढ़ ।

5- अभियुक्त करन का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0स0 542/23 धारा 419/420/467/468/471 भादवि कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फतेहगढ़ ।

बरामदगी का विवरण:- वादी के भाई मान सिंह का फर्जी आधार कार्ड।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 हरिश्याम सिंह
2. उ0नि0 अनिल कुमार
3. का0 नरेश
4. का0 सद्दाम हुसैन
5. हे0 का0 इशरार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :- 25.11.2023

कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0स0 377/23 धारा 147/409/420/332/307/506/419/120B/342 भादवि0 कोतवाली फतेहगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त शिवप्रताप सिंह उर्फ चीनू पुत्र श्री बृजमोहन सिंह थाना सोतावहादुरपुर पांचालघाट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री प्रशान्त कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप सिंह** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0स0 542/23 धारा 419/420/467/468/471 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण शिवप्रताप सिंह उर्फ चीनू पुत्र श्री बृजमोहन सिंह थाना सोतावहादुरपुर पांचालघाट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ को दिनांक 25.11.2023 को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 27.07.2023 को वादी अधिवक्ता श्री राजीव कुमार बाजपेयी पुत्र योगेशचन्द्र बाजपेयी निवासी नबाव नियामत खाँ पश्चिम कोतवाली फर्रुखाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गयी, जिसमें कचहरी परिसर में सुरक्षा को भंग कर गोला बारुद कचहरी परिसर में ले जाकर वादी अधिवक्ता राजीव वाजपेई के चैम्बर के पास गोला दागकर वादी की हत्या करने का प्रयास किया गया था। शिवप्रताप उर्फ चीनू व अनुपम दुबे व अन्य द्वारा डिबार हो जाने के बावजूद वकालतनामा माननीय न्यायालय में लगातार पैरवी करते रहे व साजिश के तहत अधिवक्ता बताकर न्यायिक कार्य से विरत रहने के प्रस्ताव न्यायिक अधिकारियों /प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष प्रेषित कर हड़ताल की घोषणा कर न्यायिक कार्य बाधित किया गया था व कई दिनों तक न्यायिक कार्य को बाधित रखा गया, जिसके सम्बन्ध में कोतवाली फतेहगढ़ पर **मु0अ0सं0-377/23 धारा-147/409/420/332/307/506/419/120B/342 भादवि** पंजीकृत किया गया था। विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त **शिवप्रताप सिंह उर्फ चीनू पुत्र श्री बृजमोहन सिंह थाना सोताबहादुरपुर पांचालघाट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़** को मुखबिर की सूचना पर आज दिनाँक 25.11.2023 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त मुकदमे में नामजद अभियुक्त संजीव पारिया पुत्र जदुनाथ सिंह पारिया निवासी ओल्ड ग्रान्ट बगला नं0 10 कैण्ट फतेहगढ़ कोतवाली फतेहगढ को पूर्व में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शिवप्रताप सिंह उर्फ चीनू पुत्र श्री बृजमोहन सिंह नि0 सोताबहादुरपुर पांचालघाट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त शिवप्रताप सिंह उर्फ चीनू का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 377/23 धारा 147/409/420/332/307/506/419/120B/342 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0स0 283/22 धारा 323/384/447/504/506 कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।।
3. मु0अ0स0 827/2006 धारा 147/148/149/307/504 भा0द0स0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
4. मु0अ0स0 507/2007 धारा 147/148/149/307/323/452/504/506 भादवि0 को0 फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़।
5. मु0अ0स0 617/91 धारा 25/30 आर्म्स एक्ट कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़।

6. मु0अ0स0 452/96 धारा 147/323/504/342/384/420 भादवि कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़।
7. मु0अ0स0 109/97 धारा 302/307/120बी भादवि कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़।
8. एनसीआर 203/97 धारा 323/504 भादवि कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़।
9. मु0अ0स0 784/97 धारा ¾ गुण्डा अधि0 कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:- 02 मोबाईल फोन OPPO कम्पनी।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कोतवाली फतेहगढ़ टीम:-

1- प्र0नि0 हरिश्याम सिंह कोतवाली फतेहगढ़।
2- का0 सद्दाम हुसैन
3- हे0 का0 इशरार

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली फर्रुखाबाद

दिनांक :- 26.11.2023

कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा मोटर साइकिल चोरी के अभियोग का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को चोरी की मोटर साइकिल सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 422/23 धारा- 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त अवनीश शर्मा पुत्र मदन शर्मा निवासी तलैया फजल इमाम कोतवाली फर्रुखाबाद को चोरी की गयी मोटर साइकिल नं0- UP76 AC4701 अपाचे सहित दिनांक 25.11.2023 को गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण :- दिनांक 24.11.2023 को श्री जितेंद्र दुबे पुत्र देवेंद्र कुमार निवासी 5/112 नितगंज दक्षिण कोतवाली फर्रुखाबाद द्वारा कोतवाली फर्रुखाबाद पर तहरीर दी गयी कि खाटू श्याम पैलेस आईटीआई गुप्ता पेट्रोल पंप के पास वाली गली कोतवाली फर्रुखाबाद से समय करीब 03:00 बजे मो0सं0 रजिस्ट्रेशन UP76 AC4701 अपाचे चोरी हो गयी है। जिसके आधार पर कोतवाली फर्रुखाबाद पर मु0अ0सं0- 422/23 धारा- 379 भादवि पंजीकृत किया गया था। कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा तत्परता से तलाश पतारसी कर अभियोग का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त अवनीश शर्मा पुत्र मदन शर्मा निवासी तलैया फजल इमाम कोतवाली फर्रूखाबाद को चोरी की गयी उपरोक्त मोटर साइकिल सहित दिनांक 25.11.2023 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की बढौत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त अवनीश ने बताया कि मो0सं0 नं0- UP76 AC4701 अपाचे को मैंने दिनांक- 24.11.2023 की रात में गुप्ता पेट्रोल पम्प के पास खाटू श्याम वाली गली से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अवनीश शर्मा पुत्र मदन शर्मा उम्र करीब 23 वर्ष निवासी तलैया फजल इमाम कोतवाली फर्रूखाबाद।

बरामदगी का विवरण :-

1. चोरी गयी मो0सा0 रजिस्ट्रेशन नंबर UP76 AC4701 चेचिस नंबर MD634E45J2K62989 इंजन नंबर BE4KJ2461244

अभियुक्त अवनीश शर्मा का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0- 422/23 धारा- 379/411 भादवि कोतवाली फर्रूखाबाद।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 जगभान सिंह कोतवाली फर्रुखाबाद।
2. हे0का0 सुनील कुमार
3. का0 अंकित पवार
4. का0 हिमांशू कुमार
5. का0 रामकुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

ROAD SIGNALS
30

आदेश कक्ष

Mohammadabad, Uttar Pradesh, India
00, Mohammdabad, Mohammadabad, Uttar Pradesh 209651, India
Lat 27.30698°
Long 79.434143°
26/11/23 11:16 AM
Google

GPS Map Camera
Jahan Ganj, Uttar Pradesh, India
7H33+6MX, Jahan Ganj, Pataunja, Uttar Pradesh 209739, India
Lat 27.253096°
Long 79.554168°

GPS Map Camera
Kamalganj, Uttar Pradesh, India
7J7J+PCC, Kamalganj, Uttar Pradesh 209724, India
Lat 27.264206°
Long 79.630932°
26/11/23 11:03 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Farrukhabad, Uttar Pradesh, India
HJ33+F82 Police Station, Amritpur, District : Farrukhabad, SH 43, Uttar Pradesh 209622, India
Lat 27.554027°
Long 79.60289°
Google

फिंगर, स्प्रिंगरोल, अप्पे,